

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प० 12(04) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 14/06/2024

:: रुद्रि-पत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प० 12(04) राज/वाद/24 दिनांक 14.06.24 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष राजस्थान राज्य के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्तागण की नियुक्ति की गयी है।

उक्त आदेश के क्रम संख्या-02 पर वर्णित अधिवक्ता के पंजीयन क्रमांक टंकण त्रुटिवश गलत अंकित हो गये हैं। अतः उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.24 के क्रम संख्या-02 पर वर्णित अधिवक्ता के पंजीयन क्रमांक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन क्रमांक
1	श्री कपिल प्रकाश माथुर	आर/119/2000


आज्ञा से

६०

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
4. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
9. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
11. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
16. निबंधक, राजस्व, मण्डल, अजमेर।
17. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
18. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय।
19. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
20. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
21. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
22. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करवाये जाने हेतु।
23. रक्षित पत्रावली।


 14/06/2024
 (राजेश गुप्ता)
 शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 14/06/24

= शुद्धि-पत्र =

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24 दिनांक 14.06.24 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष राजस्थान राज्य के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्तागण की नियुक्ति की गयी है।

उक्त आदेश के क्रम संख्या-01 व 02 पर वर्णित अधिवक्ता के पंजीयन क्रमांक टंकण त्रुटिवश गलत अंकित हो गये हैं। अतः उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.24 के क्रम संख्या-01 व 02 पर वर्णित अधिवक्तागण के पंजीयन क्रमांक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम (सर्वेत्री/श्रीमती/सुश्री)	पंजीयन क्रमांक
1	सज्जन सिंह राठीड़	आर/1542/2009
2	नरेन्द्र राजपुरोहित	आर/1544/2005


आज्ञा से

६०

(नरेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
4. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
9. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
11. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
16. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
17. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
18. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय।
19. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
20. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
21. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
22. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करवाये जाने हेतु।
23. रक्षित पत्रावली।


 14/06/24
 (नरेन्द्र गुप्ता)
 शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प० 12(05) राज/वाद/24(जोधपुर)

जयपुर दिनांक 14/06/24

:: शुद्धि-पत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प० 12(05) राज/वाद/24 (जोधपुर) दिनांक 14.06.24 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष राजस्थान राज्य के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अधिवक्तागण (गवर्नमेंट काउन्सिल्स, एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल्स, डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल्स एवं असिस्टेन्ट गवर्नमेंट काउन्सिल्स) की नियुक्ति की गयी है।

उक्त आदेश के क्रम संख्या-10, 16 व 34 पर वर्णित अधिवक्तागण के पंजीयन क्रमांक टंकण त्रुटिवश गलत अंकित हो गये हैं। अतः उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.24 के क्रम संख्या-10, 16 व 34 पर वर्णित अधिवक्तागण के पंजीयन क्रमांक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम (सर्वप्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	पंजीयन क्रमांक
1	सुभाष चौधरी	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	आर/1871/2007
2	दीपक बोड़ा	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	आर/1612/2005
3	रामावतार	असिस्टेन्ट गवर्नमेंट काउन्सिल	आर/1097/2016

आज्ञा से

हस्ताक्षर

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
4. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
9. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
11. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
16. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
17. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
18. संबंधित अधिवक्ता।
19. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
20. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
21. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
22. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करवाये जाने हेतु।
23. रक्षित पत्रावली।

14.06.2024
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि